न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 26/2015

A 1/17

वादी :–
1.राजेश कुमार पुत्र बन्नाराम रेगर उम्र 38 वर्ष निवासी रेगर बस्ती कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण
1.लिछमादेवी पुत्री पन्नाराम जाति रेगर निवासी ग्राम हीराणी तह.कुचामनसिटी
2.भंवरसिंह
3.रघुवीरसिंह
4.जयसिंह
5.भगवानसिंह
6.सुरेन्द्र सिंह पिसरान अमरसिंह जाति राजपूत निवासीगण पलाड़ा
7.तोप कंवर
8.भंवरकवंर
9.मेन कंवर पुत्रिया स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासीगण पलाड़ा
10.प्रहलादसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा
11.सन्तोष कंवर
12.श्रवण कंवर
13.पुष्पा कंवर पुत्रिया स्व.भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पलाड़ा
14.विनोद कंवर
15.कंचन कंवर
16.सुमन कंवर पुत्रिया स्व. लिछमण
17.गिरधारी सिंह
18.पूरण सिंह
19.रणवीर सिंह
20.अजीत सिंह
21.सोहन सिंह पिसरान स्व. लिछमणसिंह
22.तोप कंवर
23.प्रमोद कंवर
24.कंचन कंवर
25.सुमन कंवर पुत्रिया स्व. रणजीतसिंह
26.भानू प्रताप
27.रवि प्रताप पिसरान स्व. रणजीतसिंह उक्त सभी राजपूत निवासीगण पलाड़ा
28.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
29.पटवारी हल्का पटवार मण्डल ग्राम हीराणी जिला नागौर

........2........

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

दावा वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 26/6/2015

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम हीराणी पटवारी मण्डल हीराणी तहसील कुचामनसिटी के सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 153 रकबा 0.05हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 168 रकबा 6.68 हैक्टर बारानी कुल रकबा 6.63 हैक्टर आयी हुई है । उक्त भूमि मथुरा देवी पत्नि मूलाराम रेगर से जरिये बेचान क्रय की गई है । उक्त भूमि में वादी की 1.15हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 की 1.16 हैक्टर एवं प्रतिवादीगण 2 से 27 के पूर्वज उमसिंह पुत्र नाथूसिंह की 2.16 हैक्टर, भवंरसिंह लक्ष्मणसिंह पिसरान सादुलसिंह राजपूत संयुक्त रूप से रकबा 2.16 हैक्टर कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार अभिधारियो की भू–राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में सम्मिलित खातेदार दर्ज है । पक्षकारान अपने हिस्से की भूमि पर अलग अलग खेती करते आ रहे है । वादी की कब्जा की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 153 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 153 168 उत्तर मे उत्तर से दक्षिण तरफ जाने वाले जनमार्ग के समीप स्थित है उक्त वादी के कब्जे व आधिपत्य की 1.15 हैक्टर भूमि की उत्तरी सींव के समीप रास्ता आगे प्रतिवादी लिछमा के कब्जे काश्त की 1.16 हैक्टर के खेत के लिए पहुंच हेतु मार्ग के रूप मे मौजूद है, प्रतिवादी संख्या 2से 27 खसरा नम्बर 168 के दक्षिणी हिस्से में 4.32 हैक्टर हिस्से में काबिज काश्त है इसके आवागमन हेतु पूरब दिशा में कटाणी रास्ता मौजूद है। उक्त आराजी में वादी खरीद करने के समय से ही लगातार काबिज काश्त है । मौके पर सह खातेदार अभिधारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 27 अपने अपने बंट में आये भूमि के हिस्से पर काबिज काश्त है । जो संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है । रेकर्डेड सह खातेदार उमसिंह पुत्र नाथूसिंह का देहान्त ग्राम पलाड़ा में दिनॉक 06.06.1983 को हो चूका है ,इनके जायन्दा पुत्र सन्तान अमरसिंह व दयालसिंह थे,इन दोनो का भी दिनॉक 22.7.1989 एवं 21.11.2004 को देहान्त हो चुका है प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 9 अमरसिंह के पुत्र पुत्री वारिस है । अमरसिंह की पत्नि का देहान्त हो चुका है , दयालसिंह की पत्नि चाव कंवर का भी 03.01.07 को देहान्त हो चुका है , इसलिए दयालसिंह की प्रतिवादी संख्या 10 जीवित वारिस है । रेकर्डेड खातेदार अभिधारी श्री भंवससिंह लक्ष्मणसिंह पि. सार्दुलसिंह निवासी पलाड़ा का देहान्त हो चुका है , मृतक भंवरसिंह की पत्नि भंवरकंवर भी फौत हो चुकी है इनकी पुत्रिया वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 से 13 है । दिनॉक 21.02.2011 को मृत सहखातेदार

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 3/15

लिछमणसिंह की पत्नि लाडकंवर का देहान्त 08.03.78 को होने के कारण वर्तमान वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 से 27 जीवित वारिसान है इसलिए विभाजन के वाद में मृत सहखातेदारो के पक्ष को सुनवाई को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो इसलिए पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है । वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम हीराणी के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.05हैक्टर खसरा नम्बर 168 रकबा 6.58 हैक्टर मे से वादी को 1.15 हैक्टर भूमि का नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । प्रतिवादी संख्या 1से27 का खाता पृथक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रकरण की राजस्व केम्प कोर्ट हीराणी में सुनवाई की गई । वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या एक उपस्थित होकर निवेदन किया की मेरी राजस्व रेकार्ड में रेगर अंकित की हुइ है जबकि वास्तविक जाति मेघवाल है जिसको मैने आज केम्प में दुरूस्त करा लिया है इसलिए माफिक राजीनामा वाद निर्णित किया जावे । एवं शेष प्रतिवादी के सम्मन तामील शामिल मिसल है । वादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या एक अनुसूचित जाति के सदस्य है । शेष प्रतिवादी संख्या 2 ता 27 स्वर्ण जाति के सदस्य है । नजरी नक्शा संलग्न मानचित्र अनुसार मौके पर काबिज है । प्रस्तुत राजीनामा संलग्न वाद पत्र उपलब्ध है । वादी संख्या एक एव प्रतिवादी संख्या 2 ने राजीनाम प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । मुताबिक राजीनामा वाद काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार वाद वादी डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है ।

ग्राम हीराणी के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 168 रकबा 6.58 हैक्टर में से 1.10 हैक्टर कुल 1.15 हैक्टर हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक को खसरा नम्बर 168 मे से 1.16 हैक्टर हिस्सा है , मे से खसरा नम्बर 168 रकबा 6.58 हैक्टर मे वादी के हक हिस्से 1.10 हैक्टर मे से 0.0150हैक्टर व प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से 1.16 हैक्टर मे से 0.0150हैक्टर अर्थात खसरा नम्बर 168 रकबा 6.58 हैक्टर मे से 0.0300हैक्टर का रास्ता कायम किया जाता है। शेष बची खसरा नम्बर 168 रकबा 6.58 हैक्टर मे से 6.55 हैक्टर मे से 1.0850 हैक्टर व खसरा नम्बर 153 रकबा 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण का वादी राजेश कुमार पुत्र बन्नाराम रेगर निवासी कुचामनसिटी को एवं खसरा नम्बर 168 रकबा 6.55 हैक्टर मे से 5.4650 हैक्टर मे से 1.1450 हैक्टर का प्रतिवादी लिछमा पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी हीराणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । शेष खाता बदस्तूर रहेगा । नजरी नक्शा एवं मौका पर्चा नक्शा निर्णय का भाग रहेगा । तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो कि उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे । डिक्री पर्चा भरा जावे ।

निर्णय आज दिनॉक 26/6/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)